न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 21/2020
GCMS NO. : 2020/00033

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

सांवलराम पुत्र चंद्राराम जाति– ढोली
निवासी– मोयलों का बास मुण्डावा
तहसील–जैतारण।

1. जगदीश पुत्र लालीया (फौत)
2. गणपत पुत्र लालीया
3. सीयाराम पुत्र लालीया
4. हरलाल पुत्र राधाकिशन
   जातियान– ढोली निवासी– मुण्डावा
   तहसील–जैतारण।
5. हड़मानराम पुत्र गंगाराम
   जातियान– ढोली निवासी– घोडावड
   तहसील–जैतारण।
6. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.19/03/2020

उपस्थितः– 1. श्री राजूनाथ, अधिवक्ता वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 30/11/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तेनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड भू.अभि.नि. क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला–पाली में खसरा नम्बर 212 रकबा 10 बीघा 17 विस्वा व खसरा नम्बर 64 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 अपने अपने हिस्से पर काबिज खातदार काश्तकार है, जिसकी चालू जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लालीया के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी, तत्पश्चात उनका देहान्त होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण घोडावड़ तहसील जैतारण जिला–पाली के जरिये वादी के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कि जानी थी। लेकिन तत्तकालीन हल्का पटवारी ने वादी के पिता का सही नाम चंद्राराम की बजाय रामचन्द्र नाम की गलत प्रविष्टि कर दी व उसी के आधार पर चौसाला जमाबन्दी में भी चंद्राराम की बजाय [illegible] नाम का अंकन कर दिया, जो गलत है वादी के पिता का वास्तविक नाम [illegible]राम पुत्र लालाराम है। वादी के पिता के पहचान से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र सभी में वादी के पिता का नाम चंद्राराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

पुत्र श्री लालाराम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में रामचन्द्र के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानिया उठानी पड़ रही है। इस बाबत यह वादपत्र पेश है। वादी के पिता चंद्राराम पुत्र लालाराम का स्वर्गवास 01.07.2017 को हो चुका है। जिनके देहान्त के बाद वादी ने हल्का पटवारी से वादी व उनके परिवार के नाम इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरणकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया लेकिन हल्का पटवारी द्वारा वादी को अवगत कराया गया कि इस बिवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में सही नाम चंद्राराम के नाम की बजाय गलत नाम रामचन्द्र दर्ज है। जिसे न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर आप सुधरावे ऐसा दिनांक 02.03.2020 को हल्का पटवारी द्वारा वादी को अवगत कराया गया जिस पर वादी ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया। इस प्रकार से वादी की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादी के पिता के सही नाम चंदाराम पुत्र लालाराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम रामचन्द्र पुत्र लालीया के स्थान पर वादी दर्ज करवाने, ऐसी घोषणा करवाने व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर प्रस्तुत है। वादी ने अपने पिता के नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 06 व हल्का पटवारी से पूर्व में भी निवेदन किया था। तब उन्होने दिनांक 02.03.2020 को ऐसी दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया है। जिस पर यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 06 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। इस बाबत धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 02.03.2020 को प्रतिवादीगण व हल्का पटवारी द्वारा वादी के पिता के नाम की दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम मुण्डावा पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 02 से 06 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान संख्या 01 नाऔलाद फौत हो चुका है। कोई वारिसान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 का नाम वाद से हटाया/विलोपित किया जाकर वादपत्र में लाल स्याही से डिलिट अंकित किया गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी रिपोर्ट मय मौका फर्द में निवेदन किया कि मजमे आम में जांच करने पर मौतबिरान ने बताया कि वादी सांवलराम पुत्र चन्द्राराम जाति ढोली के पिताजी का नाम दुरूस्त करवा[illegible] पेश राजस्व वाद में वर्णित तथ्य सही है। मौतबिरान ने बता[illegible] के पिताजी का सही व वास्तविक नाम चन्द्राराम था, परन्तु गांव की बोलचाल की भाषा में रामचन्द्र

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:38 IST
Reason: SelfAttested

कहते थे। वास्तव में चन्द्राराम व रामचन्द्र एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। ग्राम मुण्डावा में रामचन्द्र नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता था।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01, A/W 02, A/W 03 को पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी राजस्व वाद बाबत घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया। ग्राम मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड भू.अभि.नि. क्षेत्र बलाडा की जमाबन्दी संवत् 2075-78 के खसरा संख्या 212 रकबा 10-17 बीघा, खसरा संख्या 64 रकबा 03-19 बिस्वा में रामचन्द्र पुत्र लालीया बतौर खातेदार दर्ज है। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा प्रस्तुत P/W 01, A/W 02 एवं A/W 03- वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लालीया के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात उनके देहान्त के बाद उक्त भूमि नामान्तरकरण के जरिये वारिसान के नाम दर्ज की गई जिसमें मुझ वादी के पिता का नाम चंद्राराम के बजाय रामचन्द्र नाम का अंकन कर दिया गया, जो गलत है। रामचन्द्र व चंद्राराम एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं एवं पिता के दस्तावेज चन्द्राराम के नाम से है न की रामचन्द्र के नाम से। प्रदर्श-3ए (मृत्यु प्रमाण-पत्र), प्रदर्श-4ए (आधार कार्ड), प्रदर्श-5ए (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारवती का पहचान-पत्र), प्रदर्श-6ए (जनआधार कार्ड), प्रदर्श-7ए (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सांवलराम का पहचान-पत्र), प्रदर्श-8ए (राशन कार्ड) एवं प्रदर्श-9ए (वादी सांवलराम का आधार कार्ड) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पिता का नाम चन्द्राराम है न कि रामचन्द्र। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि वादी सांवलराम के पिताजी का सही व वास्तविक नाम चन्द्राराम था, परन्तु गांव में बोल-चाल की भाषा में रामचन्द्र कहते थे। वास्तव में चन्द्राराम व रामचन्द्र एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। ग्राम मुण्डावा में रामचन्द्र नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता था। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण की मौका रिपोर्ट, वादी के शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार का सही व वास्तविक नाम चन्द्राराम है न कि रामचन्द्र। भू-अभिलेख में दर्ज रामचन्द्र पुत्र लालीया वस्तुतः एक लिपिकिय एवं स्थानीय भाषागत उच्चारण से सम्बन्धित दोष से जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में खूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड भू.अभि.नि. क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला-पाली में खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

212 रकबा 10 बीघा 17 विस्वा व खसरा नम्बर 64 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"रामचन्द्र"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"चन्द्राराम"*** दर्ज करते हुए राजस्व रिकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रिकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक **30/11/2021** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–ः वादी ः–	बनाम	–ः प्रतिवादीगण ः–
1. सांवलराम पुत्र चंद्राराम जाति– ढोली निवासी– मोयलों का बास मुण्डावा तहसील–जैतारण।		1. जगदीश पुत्र लालीया (फौत) 2. गणपत पुत्र लालीया 3. सीयाराम पुत्र लालीया 4. हरलाल पुत्र राधाकिशन जातियान– ढोली निवासी– मुण्डावा तहसील–जैतारण। 5. हड़मानराम पुत्र गंगाराम जातियान– ढोली निवासी– घोडावड तहसील–जैतारण। 6. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 21/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री राजूनाथ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। आराजी राजस्व मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड भू. अभि.नि. क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला–पाली में खसरा नम्बर 212 रकबा 10 बीघा 17 विस्वा व खसरा नम्बर 64 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"रामचन्द्र"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"चन्द्राराम"*** दर्ज करते हुए राजस्व रिकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रिकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/11/2021** को जारी किया गया।

माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	2.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	09.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:38 IST
Reason: SelfAttested